1 आपराधिक प्रकरण कमांक 559/2011

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

<u>प्रकरण क्रमांक 559 / 2011</u> संस्थापित दिनांक 22 / 07 / 2011

> मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— एण्डोरी, जिला भिण्ड म०प्र०

> > अभियोजन

बनाम

अवधेश शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामगोपाल शर्मा उम्र 31 साल निवासी सुहांस

...... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा– 294, 341, 506 भाग–2 भा०द०सं० एवं 25(1–बी)ए आयुध अधिनियम) (राज्य द्वारा एडीपीओ–श्रीमती हेमलता आर्य।) (आरोपी द्वारा अधिवक्ता–श्री बी०एस० यादव।)

<u>::- नि र्ण य --::</u> (आज दिनांक 06/12/2017 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 01/03/11 को रात्रि 12:30 बजे केंदार बढ़ई के खेत के पास ग्राम सुहांस में अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी राजकुमार शर्मा एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, फरियादी राजकुमार एवं बंटी तथा छोटेलाल को इच्छित दिशा में जाने से रोककर उनका सदोष अवरोध कारित करने, फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने एवं उसी समय एक 315 बोर का कट्टा एवं दो राउण्ड वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखने हेतु भा0द0सं० की धारा 294, 341, 506 भाग—2 एवं आयुध अधिनियम की धारा 25(1—ख)क के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 28.02.11 की रात्रि करीबन 8—9 बजे आरोपी अवधेश एवं रामगोपाल वगैरह शराब पीकर फरियादी राजकुमार शर्मा एवं उसकी पत्नी को मां—बहन की बुरी बुरी गालियां दे रहे थे जिस पर उसने अपने चाचा रामजीलाल को फोन पर सूचना दी थी फिर वह गाड़ी लेकर आये थे वह लोग गाड़ी से रिपोर्ट करने थाने जा रहे थे तो केदार बढई के खेत के पास आरोपी अवधेश व रामगोपाल गाड़ी से आये थे एवं फरियादी की गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी को रोक लिया था तथा फरियादी राजकुमार को मां—बहन की बुरी बुरी गालियां देने लगे थे। फरियादी

राजकुमार तथा आरोपी अवधेश एवं रामगोपाल में गुत्थमगुत्था होने लगी थी। आरोपी अवधेश ने फरियादी राजकुमार की बंदूक लेकर उसका बट तोड़ दिया था। अवधेश ने 315 बोर का कट्टा निकालकर तान दिया था व जान से मारने की धमकी दी थी तब फरियादी राजकुमार एवं उसके पिता छोटेलाल तथा भाई बंटी ने अवधेश से कट्टा व दो राउण्ड छीन लिए थे एवं कट्टा, दो राउण्ड, टूटी हुई बंदूक साथ लेकर फरियादी रिपोर्ट करने थाने गया था। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना एण्डोरी में अपराध क्रमांक 30 / 11 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि विचारण के दौरान आरोपी रामगोपाल की मृत्यू हो जाने के कारण आरोपी रामगोपाल के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है।

- उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।
- द0प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष हैं उसे प्रकरण में झुठा फंसाया गया है।
- इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए है :--5.
 - क्या आरोपी ने दिनांक 01/03/11 को रात्रि 12:30 बजे केदार बढई के खेत के पास ग्राम सुहांस में सार्वजनिक स्थल पर अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी एवं अन्य सुननेवालों को क्षोभ कारित किया ?
 - क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी राजकुमार एवं बंटी तथा छोटेलाल को उनकी इच्छित दिशा में जाने से रोककर उनका सदीष अवरोध कारित किया ?
 - क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी राजकुमार को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया 🐍
 - क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर एक संचालनीय स्थिति वाला आयूध 315 बोर का कट्टा एवं दो राउण्ड वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे ?
- उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी राजक्मार शर्मा आ०सा०१, साक्षी छोटेलाल आ०सा०२, संजीव आ०सा०३, योगेन्द्र कुशवाह अ०सा०४, उपनिरीक्षक योगेन्द्रसिंह अ०सा०५, आरक्षक सुरेश दुबे अ०सा०६, प्रदीप भारद्वाज अ०सा०७, नीरू उर्फ नीरज आ०सा०८ एवं बंटी उर्फ शिवकुमार शर्मा अ0सा09 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी राजकुमार शर्मा अ०सा०1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग पांच साल पहले

शाम के 8–9 बजे की है। आरोपी अवधेश एवं रामगोपाल उसके घर में पत्थर फेंक रहे थे और मां बहन की गालियां दे रहे थे उसने अपने चाचा रामजीलाल को खबर की थी उन्होंने पुलिस को खबर कर दी थी। पुलिस घर पर आई थी फिर उसके चाचा ने गाड़ी भेज दी थी वह गाड़ी से रिपोर्ट करने के लिए निकला था तो केदार के खेत पर आरोपी अवधेश एवं रामगोपाल मिल गये थे। आरोपीगण ने उसकी गाड़ी रोक ली थी तथा आरोपी अवधेश उसे मां बहन की बुरी—बुरी गालियां देने लगा था। साक्षी छोटेलाल अ०सा02 ने भी आरोपीगण द्वारा गाली गलीच करना बताया है। प्रदीप भारद्वाज अ०सा07 एवं नीरू उर्फ नीरज अ०सा08 एवं बंटी उर्फ शिवकुमार शर्मा अ०सा09 ने भी आरोपी द्वारा मां बहन की बुरी—बुरी गालियां देना बताया है।

8. इस प्रकार फरियादी राजकुमार शर्मा अ०सा०1, छोटेलाल अ०सा०2, प्रदीप भारद्वाज अ०सा०7, नीरू उर्फ नीरज अ०सा०8 एवं बंटी उर्फ शिवकुमार शर्मा अ०सा०9 ने आरोपी द्वारा मां बहन की गालियां दिया जाना बताया है परन्तु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आरोपी अवधेश द्वारा वास्तविक रूप से ऐसे कौन से अश्लील शब्द उच्चारित किए गए थे जिन्हें सुनकर उन्हें क्षोभ कारित हुआ था। जब किसी व्यक्ति पर अश्लील शब्द उच्चारित करने का आरोप हो तो स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित होना चाहिए कि आरोपी द्वारा कौन से अश्लील शब्द उच्चारित किए गए थे। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी एवं साक्षीगण ने आरोपी द्वारा मां—बहन की गालियां दिया जाना अथवा गाली गलीच करना तो बताया है परन्तु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वास्तविक रूप से आरोपी द्वारा कौन से अश्लील शब्द अभिवंचित किए गए थे जिन्हें सुनकर फरियादी को क्षोभ कारित हुआ था। ऐसी स्थिति में भा0द0स0 की धारा 294 के संगठक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपी को भा0द0स0 की धारा 294 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2

- 9. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी राजकुमार शर्मा अ०सा०1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन मे व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन वह गाड़ी से रिपोर्ट करने के लिए जा रहा था तो केदार के खेत के पास आरोपी अवधेश और रामगोपाल मिल गये थे। आरोपीगण ने उसकी गाड़ी रोक ली थी। आरोपीगण ने उसकी गाड़ी के सामने अपनी बुलेरो गाड़ी लगा दी थी तथा उसे गाड़ी से उतरने के लिए कहा गया था। साक्षी छोटेलाल अ०सा०२ एवं बंटी उर्फ शिवकुमार शर्मा अ०सा०१ ने भी आरोपी द्वारा उनकी गाड़ी के आगे बुलेरो गाड़ी लगा देने बाबत प्रकटीकरण किया है।
- 10. इस प्रकार फरियादी राजकुमार शर्मा अ०सा०1, छोटेलाल अ०सा०2 एवं बंटी उर्फ शिवकुमार शर्मा अ०सा०9 ने आरोपी द्वारा उनकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लगाकर उन्हें रोक लेने बाबत प्रकटीकरण किया है परन्तु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आरोपी द्वारा बाधा उत्पन्न कर देने से वह अपनी इच्छित दिशा में जाने से बाधित हो गये थे एवं आरोपी द्वारा उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया था। ऐसी स्थिति में भा०द०स० की धारा 341 के संगठक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपी को भा०द०स० की धारा 341 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3

- 11. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी राजकुमार शर्मा अ०सा०1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि आरोपी ने उसके उपर 315 बोर का कट्टा तान लिया था और उसे गोली मार देने की धमकी दी थी। साक्षी छोटेलाल अ०सा०2 एवं बंटी उर्फ शिवकुमार अ०सा७ ने भी आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने बाबत प्रकटीकरण किया है।
- 12. इस प्रकार फरियादी राजकुमार शर्मा अ०सा०1, छोटेलाल अ०सा०2 एवं बंटी उर्फ शिवकुमार शर्मा अ०सा०9 ने आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना बताया है परन्तु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आरोपी द्वारा दी गयी धमकी से उन्हें भय अथवा अभित्रास कारित हुआ था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भा०द०स० की धारा 506 भाग दो को प्रमाणित होने के लिए यह आवश्यक है कि आरोपी द्वारा दी गयी धमकी वास्तविक हो और उसे सुनकर फरियादीगण को भय अथवा अभित्रास कारित हुआ हो। मात्र क्षणिक आवेश में दी गयी तुच्छ धमकियों से भा०द०स० की धारा 506 भाग दो का अपराध प्रमाणित नहीं होता है।
- 13. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी राजकुमार शर्मा अ0सा01, छोटेलाल अ0सा02 एवं बंटी उर्फ शिवकुमारशर्मा अ0सा09 ने आरेपी द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि आरोपी द्वारा दी गयी धमकी को सुनकर उन्हें भय अथवा अभित्रास कारित हुआ था। ऐसी स्थिति में भा0द0स0 की धारा 506 भाग दो के संगठक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपी को भा0द0स0 की धारा 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 4

14. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी राजकुमार शर्मा अ0सा01 न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग पांच वर्ष पूर्व की शाम के 8–9 बजे की है। आरोपी अवधेश एवं रामगोपाल उसके घर में पत्थर फेंक रहे थे और मां बहन की गालियां दे रहे थे उसने अपने चाचा रामजीलाल को खबर दी थी कि अवधेश और रामगोपाल पत्थर फेंक रहे हैं तो उन्होंने पुलिस को खबर कर दी थी पुलिस घर पर आ गयी थी वह घर के अंदर था पुलिस की गाड़ी का हार्न सुनकर वह बाहर आया था पुलिस ने उससे आरोपी अवधेश एवं रामगोपाल के बारे में पूछा था तो उसने कहा था कि आरोपीगण यहीं कहीं होंगें घटना रात की थी। फिर उसके चाचा ने गाड़ी भेज दी थी और कहा था कि सुबह रिपोर्ट करेंगें उसके बाद वह गाड़ी से रिपोर्ट करने के लिए निकला था केदार के खेत पर आरोपी अवधेश और रामगोपाल उसे मिल गये थे। आरोपीगण ने उसकी गाड़ी रोक ली दी थी वह गाड़ी से उतरकर आया था और गुत्थमगुत्था हो गया था अवधेश ने उसकी बंदूक छुड़ाकर तोड़ दी थी एवं उसे मां—बहन की बुरी—बुरी गालियां देने लगा था तब तक उसके पिता एंव भाई भी ग्वालियर से आ गये थे अवधेश ने उसके उपर 315 बोर का कट्टा तान दिया था फिर वह उसके भाई और उसके पिता ने अवधेश से कट्टा छुड़ा लिया था उसके बाद वह लोग रिपोर्ट करने थाने गये थे तथा टूटी हुई बंदूक भी अपने साथ ले गये थे रिपोर्ट प्र0पी—1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके

हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी—2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे नहीं पता कि वह लोग जो कट्टा आरोपी से छुड़ाकर ले गये थे पुलिस ने उसका क्या किया था जप्ती पंचनामा प्र0पी—3 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा गिरफतारी पंचनामा प्र0पी—4 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षिवरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी अवधेश से कट्टा व राउण्ड जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी—3 बनाया था पुलिस ने उसके सामने आरोपी अवधेश को गिरफतार नहीं किया था एवं व्यक्त किया है कि जब रिपोर्ट करने गये थे तो उसे व अवधेश को वहीं बिटा लिया था। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 5 में उक्त साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी अवधेश से उसकी पूर्व से रंजिश चल रही है। पद क्रमांक 7 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसने कट्टा अवधेश से छुड़ाकर पुलिस को जमा करा दिया था। घटना के समय उसके पिता ग्वालियर थे एवं उसी दिन ग्वालियर से चार पहिये की गाड़ी से आ गये थे।

- 15. साक्षी छोटेलाल अ०सा०२, प्रदीप भारद्वाज अ०सा०७, नीरू उर्फ नीरज अ०सा०८ एवं बंटी उर्फ शिवकुमार शर्मा अ०सा०० ने भी फरियादी राजकुमार शर्मा अ०सा०१ के कथनों के समर्थन में साक्ष्य दी है।
- 16. साक्षी संजीव अ०सा०३ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 4—5 वर्ष पूर्व की है। आरोपी अवधेश वगैरह राजकुमार को सुबह से गाली गलौच कर रहे थे उसे बाद में पता चला था कि ललोई के रास्ते पर राजकुमार व रामजीलाल का अवधेश वगैरह से झगड़ा हो गया है वह उस समय मौके पर नहीं था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे बाद में पता चला था कि आरोपी अवधेश व रामगोपाल ने बंदूक का बट तोड़ दिया था एवं अवधेश ने मारपीट में कट्टा भी अड़ा दिया था। प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 3 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह ग्वालियर में निवास करता है ललोई के रास्ते वाली घटना उसने नहीं देखी थी वह उस समय घर पर ही था।
- 17. निरीक्षक योगेन्द्रसिंह अ०सा०५ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह दिनांक 01.03.11 को थाना एण्डोरी में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थ उक्त दिनांक को उसने फरियादी राजकुमार शर्मा की सूचना पर प्र0पी—1 की रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसके बाद उसने अवधेश से 315 बोर का कट्टा एवं दो राउण्ड तथा 12 बोर की बंदूक जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी—3 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसने आरोपी अवधेश को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र0पी—4 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि न्यायालय में प्रस्तुत आर्टिकल ए—1 का कट्टा एवं ए—2 के कारतूस वही कट्टा कारतूस हैं जो उसने जप्त किए थे। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 4 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जप्तशुदा कट्टा व बंदूक फरियादी के द्वारा थाने पर प्रस्तुत किया गया था एवं यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी अवधेश के कब्जे से कट्टा जप्त नहीं हुआ था।

- 18. योगेन्द्र कुशवाह अ०सा०४ द्वारा अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र०पी–६ को प्रमाणित किया गया है एवं आरक्षक सुरेश दुबे अ०सा०६ द्वारा जप्तशुदा आयुध की जांच रिपोर्ट प्र०पी–9 को प्रमाणित किया गया है।
- 19. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 20. सर्व प्रथम न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति विधि अनुसार ली गई है। उक्त संबंध में साक्षी योगेन्द्र कुशवाह आ0सा04 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 05.07.11 को थाना एण्डोरी के आरक्षक सुरेश द्वारा थाने के अप0क्0 30/11 की केस डायरी जप्तशुदा आयुध सिहत अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने हेतु जिला दंडाधिकारी कार्यालय भिण्ड में प्रस्तुत की गई थी एवं तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री अखिलेश श्रीवास्तव द्वारा केस डायरी एवं जप्तशुदा आयुध के अवलोकन पश्चात आरोपी अवधेश के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र0पी0—6 है जिसके ए से ए भाग पर तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री अखिलेश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर है एवं बी से बी भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर हैं। उसने श्री अखिलेश श्रीवास्तव के साथ कार्य किया है इसलिए वह उनके हस्ताक्षरों से परिचित है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तुच्छ विंसगितियों को छोडकर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है।
- 21. इस प्रकार योगेन्द्र कुशवाह अ०सा०४ ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि पुलिस थाना एण्डोरी द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा आयुध केस डायरी सिहत जिला दंडाधिकारी श्री अखिलेश श्रीवास्तव के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे एवं श्री अखिलेश श्रीवास्तव ने जप्तशुदा आयुध के अवलोकन पश्चात आरोपी अवधेश के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी थी । उक्त साक्षी का यह कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्विक विरोधाभासों से परे रहा है। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आरोपी अवधेश के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति विधि अनुसार प्राप्त की गई थी।
- 22. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या जप्तशुदा 315 वोर का कट्टा एवं दो कारतूस संचालनीय स्थिति में थे। उक्त संबंध में आर्म्स मोहर्र सुरेश दुबे आ0सा06 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 25.06.11 को पुलिस लाईन भिण्ड में थाना एण्डोरी के अप0क0 30/11 जप्तशुदा 315 बोर के देशी कटटे एवं दो कारतूस की जांच की थी जांच के दौरान उसने कटटे का एक्शन चैक किया था कट्टा चालू हालत में था कटटे से कार्य किया जा सकता था दोनों राउण्ड चालू हालत में थे दोनों राउण्ड से फायर हो सकता था। उसकी जांच रिपोर्ट प्र0पी09 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 2 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने कटटे एवं राउण्ड से फायर करके नहीं देखा। था वह केवल एक्शन के आधार पर बता रहा है कि कट्टा सही हालत में था।

7 आपराधिक प्रकरण कमांक 559/2011

- 23. इस प्रकार सुरेश दुबे अ०सा०६ ने अपने कथन में यह बताया है कि जप्तशुदा कट्टा एवं कारतूस संचालनीय स्थिति में थे। यद्यपि उक्त साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसने कट्टे एवं कारतूस से फायर करके नहीं देखा था परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसने कट्टे का एक्शन चैक किया था तथा कट्टे का एक्शन सही कार्य कर रहा था एवं कारतूस से भी फायर किए जा सकते थे। आरोपी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि कट्टा एवं कारतूस संचालनीय स्थिति में नहीं थे। ऐसी स्थिति में मात्र इस आधार पर कि कट्टे एवं कारतूस से फायर करके नहीं देखा गया था यह नहीं माना जा सकता है कि जप्तशुदा आयुध संचालनीय स्थिति में नहीं थे।
- 24. प्रस्तुत प्रकरण में आरक्ष सुरेश दुबे आ०सा०६ ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि उसने जप्तशुदा कट्टा एवं कारतूस की जांच की थी तथा जांच के दौरान उसने जप्तशुदा कट्टा एवं कारतूस संचालनीय स्थिति में पाये थे। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि जप्तशुदा 315 बोर का कट्टा एवं दो कारतूस संचालनीय स्थिति में थे।
- 25. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या उक्त 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस आरोपी ने वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे थे ?
- 26. उक्त संबंध में फरियादी राजकुमार शर्मा अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन आरोपी अवधेश एवं रामगोपाल उसके घर में पत्थर फेंक रहे थे एवं मां—बहन की गालियां दे रहे थे उसने अपने चाचा रामजीलाल को खबर की थी तो उसके चाचा ने पुलिस को खबर की थी पुलिस घर पर आ गयी थी वह घर के अंदर था पुलिस की गाड़ी का हार्न सुनकर वह बाहर आया था पुलिस ने उससे आरोपीगण के बारे में पूछा था तो उसने कहा था कि यहीं कहीं होंगें। परन्तु यह बात कि आरोपीगण उसके घर पर पत्थर फेंक रहे थे तथा उसके चाचा ने पुलिस को खबर कर दी थी एवं पुलिस ने घर आकर उससे आरोपीगण के बारे में पूछा था उक्त साक्षी द्वारा अपनी रिपोर्ट प्र0पी—1 में नहीं बतायी गयी है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी राजकुमार शर्मा अ0सा01 का कथन प्र0पी—1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरोधाभासी रहा है जो अभियोजन का घटना के प्रति संदेह उत्पन्न कर देता है।
- 27. फरियादी राजकुमार शर्मा अ०सा०१ ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उसके चाचा ने गाड़ी भेज दी थी फिर वह गाड़ी से रिपोर्ट करने के लिए निकला था तो केदार के खेत पर आरोपी अवधेश एं रामगोपाल मिल गये थे जिन्होंने उसे रोक लिया था अवधेश ने उसकी बंदूक छुड़ाकर तोड़ दी थी तब तक उसके पिता व भाई बंटी भी ग्वालियर से आ गये थे अवधेश ने उसके उपर 315 बोर का कट्टा तान दिया था फिर उसने और उसके भाई बंटी तथा उसके पिता ने अवधेश से कट्टा छुड़ा लिया था इसके बाद वह लोग रिपोर्ट करने गये थे। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि घटना के समय उसके पिता ग्वालियर में थे और उसी दिन ग्वालियर से चार पहिये की गाड़ी से आ गये थे।
- 28. इस प्रकार फरियादी राजकुमार शर्मा अ०सा०१ ने अपने कथन में यह बताया है कि वह गाड़ी से रिपोर्ट करने निकला था तो केदार के खेत पर उसे आरोपी अवधेश और रामगोपाल मिल गये थे अवधेश ने उसकी बंदूक छुड़ा ली थी तब तक उसके पिता व भाई बंटी भी ग्वालियर से आ गये थे

फरियादी राजकुमार शर्मा अ०सा०1 के उक्त कथन से यही प्रकट होता है कि फरियादी के पिता एवं भाई बंटी फरियादी राजकुमार को केदार के खेत में जहां घटना घटित हो रही थी मिले थे जबकि साक्षी छोटेलाल अ०सा०२ द्वारा अपने मुख्यपरीक्षण में यह व्यक्त किया गया है कि उसे घटना की सूचना रामजीलाल ने दी थी उसके बाद वह और बंटी ग्वालियर से गांव आये थे गांव में घर पर आरोपीगण गाली गलीच कर रहे थे फिर वह राजकुमार को लेकर रिपोर्ट करने गये थे। बंटी उर्फ शिवकुमार शर्मा अ०सा०९ ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि वह घटना के समय मौके पर नहीं था। इस प्रकार उक्त बिन्दू पर फरियादी राजकुमार शर्मा अ०सा०1, छोटेलाल अ०सा०2 एवं बंटी उर्फ शिवकुमार शर्मा अ०सा०९ के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हें। फरियादी राजकुमार शर्मा अ०सा०१ के कथनों से यह प्रकट हो रहा है कि फरियादी राजकुमार के पिता छोटेलाल एवं भाई बंटी उर्फ शिवकुमार ग्वालियर से केदार के खेत पर ही पहुंचे थे एवं फरियादी राजकुमार को केदार के खेत पर मिले थे जबकि छोटेलाल अ०सा०२ का कहना है कि वह और बंदी गांव आये थे। गांव में घर पर आरोपीगण गाली गलीच कर रहे थे तब वह राजकुमार को रिपोर्ट करने के लिए ले गये थे। छोटेलाल अ०सा०२ के कथनों से यही प्रकट होता है कि छोटेलाल अ०सा०२ राजकुमार के साथ घर से ही रिपोर्ट करने के लिए गये थे परन्तु यह बात फरियादी राजकुमार शर्मा अ0सा01 द्वारा नहीं बतायी गयी है। राजकुमार शर्मा अ0सा01 का ऐसा कहना नहीं है कि उसके पिता व भाई घर से ही उसके साथ रिपोर्ट करने के लिए गये थे इसके अतिरिक्त फरियादी राजकुमार शर्मा अ0सा01 द्वारा यह भी बताया गया है कि केदार के खेत में बंटी भी उपस्थित था जबकि बंटी उर्फ शिवकुमार अ०सा०१ का कहना है कि वह घटना के समय मौके पर नहीं था इस प्रकार फरियादी राजकुमार अ0सा01, छोटेलाल अ0सा02 एवं बंटी उर्फ शिवकुमार अ0सा09 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षीगण के कथन तात्विक बिन्दुओं पर परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। उक्त विरोधाभास अत्यंत तात्विक है जो संपूर्ण अभियोजन कहानी को हीं संदेहास्पद बना देता है।

- 29. साक्षी छोटेलाल अ०सा02 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह ग्वालियर में था उसे उसके भाई रामजीलाल ने फोन करके बताया था फिर वह और बंटी ग्वालियर से गांव आये थे गांव में घर पर आरोपीगण गाली गलौच कर रहे थे फिर वह राजकुमार को रिपोर्ट करने के लिए ले गये थे रास्ते में आरोपीगण ने गाड़ी अडाकर उन्हें रोक लिया था और उनके साथ गाली गलौच और मारपीट करने लगे थे तथा अवधेश ने उनकी एक बोर की बंदूक तोड़ दी थी अवधेश ने कट्टा अड़ा दिया था फिर वह अवधेश को साथ लेकर थाना एण्डोरी रिपोर्ट करने मये थे। जप्ती पंचनामा प्र0पी—3 एवं गिरफतारी पंचनामा प्र0पी—4 के कमशः बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी अवधेश से 315 बोर का कट्टा एवं दो राउण्ड जप्त किए थे। प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 3 में उक्त साक्षी का कहना है कि आरोपी अवधेश से उसकी पूर्व से रंजिश चल रही है एवं यह भी स्वीकार किया है कि वह घटना के समय मौके पर नहीं था वह बाद में ग्वालियर से गांव आया था उसे घटना के बारे में उसके लड़के राजकुमार ने बताया था फिर वह रिपोर्ट करने अपने लड़के राजकुमार के साथ गया था। पद कमांक 4 में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने अवधेश से कट्टा जप्त नहीं किया था।
- 30. इस प्रकार छोटेलाल अ0सा02 के कथनों से यह दर्शित है कि छोटेलाल अ0सा02 के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। छोटेलाल अ0सा02 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि जब वह ग्वालियर से घर आया था तो उसने घर पर आरोपीगण को गाली गलौच करते हुए

देखा था फिर वह राजकुमार को रिपोर्ट करने के लिए ले गया था तो रास्ते में आरोपीगण ने उसे रोककर उसके साथ गाली गलौच व मारपीट की थी परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह घटना के समय मौके पर नहीं था वह बाद में ग्वालयर से गांव आया था तथा उसे घटना के बारे में उसके लड़के राजकुमार ने बताया था फिर वह रिपोर्ट करने अपने लड़के के साथ गया था। इस प्रकार साक्षी छोटेलाल अ0सा02 के कथन अपने परीक्षण के दौरान विरोधाभासी रहे हैं इसके अतिरिक्त छोटेलाल अ0सा02 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह भी बताया है कि आरोपीगण उसके साथ मारपीट करने लगे थे परन्तु यह बात स्वयं फरियादी राजकुमार शर्मा अ0सा01 द्वारा नहीं बतायी गयी है। छोटेलाल अ0सा02 द्वारा अपने मुख्यपरीक्षण में यह भी व्यक्त किया गया है कि जब वह ग्वालियर से आया था तो उसने आरोपीगण को घर पर गाली गलौच करते हुए देखा था जबिक राजकुमार शर्मा अ0सा01 का कहना है कि उसके पिता उसे केदार के खेत में ही मिले थे इस प्रकार छोटेलाल अ0सा02 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन न केवल अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं बल्कि उक्त साक्षी के कथन तात्विक बिन्दुओं पर फरियादी राजकुमार शर्मा अ0ा01 के कथन से भी परस्पर विरोधाभासी रहे हैं जो संपूर्ण अभियोजन कहानी को ही संदेहास्पद बना देते हैं।

- 31. साक्षी संजीव अ०सा०३ के कथनों सह दर्शित है कि उक्त साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह घटना के समय मौके पर नहीं था उसे बाद में झगड़े के बारे में पता चला था उसने घटना नहीं देखी थी। इस प्रकार संजीव अ०सा०३ के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। उक्त साक्षी ने आरोपीगण को घटना कारित करते हुए नहीं देखा था।
- साक्षी प्रदीप भारद्वाज अ०सा०७ ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन उसके भाई राजकुमार का फोन आया था कि आरोपी रामगोपाल, राकेश व अवधेश शराब पीकर मां-बहन की बुरी-बुरी गालियां दे रहे हैं फिर वह मोटरसाइकिल से ग्राम सुहांस पहुंचा था तो उसने देखा था कि आरोपी अवधेश कट्टा लिए हुए शराब पीकर घूम रहा था फिर उसने पुलिस को फोन किया था और आरोपीगण को थाने पहुंचाया था। पुलिस ने अवधेश से कट्टा जप्त कर लिया था। उसने घटना की रिपोर्ट करने के लिए राजकुमार व उनके पिता को कहा था तो दोनों लोग रिपोर्ट करने जा रहे थे तो रास्ते में आरोपीगण ने फिर से घेर लिया था फिर उन लोगों ने अवधेश को पकड लिया था और उससे कट्टा छुडा लिया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह झगडे के समय नहीं था वह बाद में पहुंचा थ इसके त्रंत बाद ही उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जब वह पहुंचा था तब भी आरोपीगण गाली गलीच कर रहे थे। इस प्रकार प्रदीप भारद्वाज अ०सा०७ ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि उसने आरोपी को हाथ में कटटा लेकर शराब पीकर घूमते हुए देखा था तो उसने पुलिस को फोन करके आरोपीगण को थाने पहुंचाया था परन्तु इसके तुरंत पश्चात ही उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि जब राजकुमार और उसके पिता छोटेलाल रिपोर्ट करने जा रहे थे तो रास्ते में आरोपीगण ने फिर से घेर लिया था तो उन लोगों ने अवधेश को पकड़ लिया था। साक्षी प्रदीप भारद्वाज अ०सा०७ द्वारा अपने मुख्यपरीक्षण में ही एक तरफ तो यह बताया गया है कि उसने पुलिस को फोन करके आरोपीगण को थाने पहुंचा दिया था वहीं दूसरी तरफ उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि जब वह रिपोर्ट करने जा रहे थे तो आरोपीगण ने उन्हें फिर से घेर लिया था तथा प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह झगड़े के समय मौके पर नहीं था बाद में पहुंचा था इस प्रकार साक्षी प्रदीप भारद्वाज अ०सा०७ के कथनों से यह दर्शित हे कि उक्त साक्षी अपने परीक्षण के दौरान अपने कथनों पर

स्थिर नहीं रहा हैं उक्त साक्षी द्वारा एक ही समय में एक ही बिन्दु पर परस्पर विरोधाभासी कथन दिए गए हैं ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

- 33. साक्षी नीरू उर्फ नीरज अ०सा०८ जोिक फरियादी राजकुमार की पत्नी है ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसके पति की अवधेश, रामगोपाल एवं राकेश ने मारपीट कर दी थी जिससे आरोपीगण को जेल हुई थी आरोपीगण इसी कारण उनसे रंजिश रखते थे घटना वाले दिन आरोपीगण उक्त रंजिश पर से शराब पीकर उसे मां—बहन की गालियां दे रहे थे उसके पति ने गाली देन से मना किया थ फिर उसने अपने पति को बाहर नहीं निकलने दिया था फिर थोड़ी देर बाद पुलिस आ गये थी फिर आरोपीगण भाग गये थे फिर उसके पति व ससुर रिपोर्ट करने गये थे। उसे जानकारी नहीं है कि फिर क्या हुआ था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षिवरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जब उसके घरवाले रिपोर्ट करने जा रहे थे तब उनकी गाड़ी रोक ली थी अवधेश उनके घरवालों को कट्टे से मारना चाह रहा था उसने उसके ससुर की बंदूक का बट तोड़ दिया था जब उसके पति घर आये थे तब उन्होंने उक्त बातें उसे बतायी थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह घटना के समय मौजूद नहीं थी उसने घटना नहीं देखी थी उसके सामने कोई घटना नहीं हुई थी वह अपने पति के साथ पोरसा रहती है घटना के समय वह पोरसा में थी।
- 34. इस प्रकार नीरू उर्फ नीरज अ०सा०८ के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी का कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहा है उक्त साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि आरोपीगण उसके घर पर गालियां दे रहे थे फिर उसके पित व ससुर रिपोर्ट करने गये थे परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कहना है कि घटना के समय वह पोरसा में थी उसने घटना नहीं देखी थी उसके सामने कोई झगडा नहीं हुआ था। इस प्रकार नीरू उर्फ नीरज अ०सा०८ के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। उक्त साक्षी के कथनों से यह भी दर्शित है कि उक्त साक्षी घटना के समय मौजूद नहीं थी उसने घटना नहीं देखी थी। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।
- 35. साक्षी बंटी उर्फ शिवकुमार शर्मा अ०सा०१ ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि केदार के खेत के पास आरोपी अवधेश ने अपनी बुलेरो गाड़ी लगाकर उसकी गाड़ी रोक ली थी तथा अवधेश ने उसके भाई राजकुमार से बंदूक छुड़ाकर उसका बट तोंड दिया था तथा उस पर कट्टा तान दिया था परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने भी यह व्यक्त किया है कि वह घटना के समय मौके पर नहीं था। इस प्रकार बंटी उर्फ शिवकुमार शर्मा अ०सा०१ के कथनों से भी यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधभासी रहे हैं। उक्त साक्षी ने घटना के समय मौके पर उपस्थित न होना बताया है अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।
- 36. जहां तक योगेन्द्रसिंह अ0सा05 के कथन का प्रश्न है तो योगेन्द्रसिंह अ0सा05 ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपी अवधेश से 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी—3 तैयार करना बताया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी अवधेश के कब्जे से कट्टा जप्त नहीं हुआ था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जप्ती पंचनामा प्र0पी—3 में आरोपी अवधेश के आधिपत्य से कट्टा कारतूस एंव बंदूक जप्त किये जाने का उल्लेख है परन्तु निरीक्षक योगेन्द्रसिंह अ0सा05 जोकि जप्तीकर्ता है, ने स्वयं न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह स्वीकार किया है

11 आपराधिक प्रकरण कमांक 559/2011

कि आरोपी अवधेश के कब्जे से कट्टा जप्त नहीं हुआ था इस प्रकार स्वयं जप्तीकर्ता योगेन्द्रसिंह अ०सा०५ का कथन जप्ती पंचनामा प्र0पी—3 से पुष्ट नहीं रहा है यह तथ्य भी संपूर्ण अभियोजन कहानी को ही संदेहास्पद बना देता है।

- 37. जहां तक आरोपी अवधेश से 315 बोर का कट्टा एवं दो कारतूस जप्त किए जाने का प्रश्न है तो वहां यहा उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आरोपी अवधेश से कट्टा एवं कारतूस जप्त नहीं हुए हैं स्वयं जप्तीकर्ता योगेन्द्रसिंह अ0सा05 ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी अवधेश के कब्जे से कट्टा जप्त नहीं हुआ था। अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी अवधेश से कट्टा एवं कारतूस फरियादी राजकुमार एवं उसके पिता छोटेलाल तथा भाई बंटी द्वारा छीन लिए गए थे जबिक बंटी उर्फ शिवकुमार शर्मा अ0सा09 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह घटना के समय मौके पर नहीं था एवं साक्षी राजकुमार शर्मा अ0सा01 तथा छोटेलाल अ0सा02 के कथन भी तात्विक बिन्दुओं परस्पर विरोधाभासी रहे हैं शेष साक्षी संजीव अ0सा03 प्रदीप भारद्वाज अ0सा07 एवं नीरू उर्फ नीरज अ0सा08 के कथन भी अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। प्रकरण में आई साक्ष्य से संपूर्ण अभियोजन कहानी ही संदेहास्पद है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य से संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि फरियादीगण द्वारा आरोपी अवधेश से कट्टा एवं कारतूस छीना गया था तथा यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी अवधेश से कट्टा एवं कारतूस छीना गया था तथा यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी अवधेश ने वैध अनुज्ञप्ति के बिना 315 बोर का कट्टा एवं दो कारतूस अपने आधिपत्य में रखे।
- 38. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।
- 39. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरूद्ध अपना मामला प्रमाणित करे यदि अभियोजन आरोपी के विरूद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।
- 40. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन आरोपी के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 01/03/11 को रात्रि 12:30 बजे केदार बढ़ई के खेत के पास ग्राम सुहांस में अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी राजकुमार शर्मा एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया फरियादी राजकुमार एवं बंटी तथा छोटेलाल को इच्छित दिशा में जाने से रोककर उनका सदोष अवरोध कारित किया, फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं उसी समय एक 315 बोर का कट्टा एवं दो राउण्ड वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखा। फलतः यह न्यायालय आरोपी अवधेश को संदेह का लाभ देते हुए उसे भा0द0सं0 की धारा 294, 341, 506 भाग—2 एवं आयुध अधिनियम की धारा 25(1—ख)क के आरोप से दोषमुक्त करती है।
- 41. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।
- 42. प्रकरण में जप्तशुदा 12 बोर की बंदूक एवं टाटा स्पेशियो क्रमांक एच.ए.37बी2021 पूर्व से

सुपुर्दगी पर है अतः उसके संबंध में सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात निरस्त समझा जावे। जप्तशुदा 315 बोर का कट्टा एवं 315 बोर के दोा कारतूस अपील अवधि पश्चात विधिवत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी कार्यालय भिण्ड की ओर प्रेषित किए जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद दिनांक – 06/12/2017 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्टा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0) सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

STINGTO PROPERTY AND STINGTON OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY